सामाजिक विज्ञान

(नागरिक शास्त्र)

अध्याय-10: कानून और सामाजिक न्याय

SHIVOM CLASSES 8696608541

उपभोक्ता :- उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं, जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है अथवा उनको उपयोग में लाता है। वस्तुओं में उपभोक्ता वस्तुएं (जैसे गेहूं, आटा, नमक, चीनी, फल आदि) एवं स्थायी वस्तुएं (जैसे टेलीविजन, रेफरीजरेटर, टोस्टर, मिक्सर, साइकिल आदि) सम्मिलित है। जिन सेवाओं का हम क्रय करते हैं, उनमें बिजली, टेलीफोन, परिवहन सेवाएं, थियेटर सेवाएं आदि सम्मिलित है।

उत्पादक :– ऐसा व्यक्ति या संस्थान जो बाज़ार में बेचने के लिए चीजें बनाता है।

- उत्पादकता उत्पादन के दक्षता की औसत माप है।उत्पादन प्रक्रिया में आउटपुट और इनपुट के अनुपात को उत्पादकता कह सकते हैं।
- उत्पादकता का विचार सर्वप्रथम 1766 में प्रकृतिवाद के संस्थापक क्वेसने के लेख में सामने आया। बहुत समय तक इसका अर्थ अस्पष्ट रहा। सम्पूर्ण उत्पादकता वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में उत्पाद तथा सम्पत्ति के उत्पादन और उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग किये गये साधनों की लागत के मध्य अनुपात का द्योतक है।

कानून :- लोगों को शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है।इन कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तौर-तरीकों पर अंकुश लगाया जाए।

- किसी नियमसंहिता को कहते हैं। विधि प्रायः भलीभांति लिखी हुई दिशा व निर्देशों (इन्स्ट्रक्शन्स) के रूप में होती है। समाज को सम्यक ढंग से चलाने के लिये विधि अत्यन्त आवश्यक है।
- विधि मनुष्य का आचरण के वे सामान्य नियम होते हैं जो राज्य द्वारा स्वीकृत तथा लागू किये जाते है, जिनका पालन अनिवार्य होता है। पालन न करने पर न्यायपालिका दण्ड देती है। कानूनी प्रणाली कई तरह के अधिकारों और जिम्मेदारियों को विस्तार से बताती है।

सामाजिक न्याय

मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है। उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधो को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का शोषण न हो कानूनों को बनाने, लागू करने और और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नही रखा जाएगा।

सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज़्यादा बच्चे विभिन्न में नौकरी करते हैं।

2016 में संसद ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन किया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों (14-18 वर्ष) के जोखमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंध है।

SHIVOM CLASSES 8696608541

भोपाल गैस त्रासदी :- 2 दिसंबर 1984

अनुच्छेद 21 :- जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो।

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह आदेश दिया कि दिल्ली में सार्वजनिक वाहन कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सी.एन. जी.) ईंधन का इस्तेमाल करें।

जैवविविधता और पर्यावरण

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

परिचय

- पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 को अधिनियमित किया गया था।
- यह केंद्र सरकार को सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिये प्राधिकरण स्थापित करने हेतु अधिकृत करता है।
- यह अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण और सुधार हेतु सबसे व्यापक कानूनों में से एक है।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

SHIVOM CLASSES
8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

NCERT SOLUTIONS

प्रश्न (पृष्ठ संख्या 130)

प्रश्न 1 दो मजदूरों से बात करके पता लगाएँ कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। इसके लिए आप निर्माण मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों या किसी दुकान पर काम करने वाले मजदूरों से बात कर सकते है।

उत्तर – मजदूरों से बात करके यही पता चलता है कि सरकार द्वारा निश्चित वेतन या तो उन तक पहुँचता ही नहीं है और मिलता भी है तो वह भी बहुत देर से और आधा–अधूरा।

प्रश्न 2 विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने से क्या फ़ायदा है ?

उत्तर – विदेशी कंपनियों के भारत में अपने कारखाने खोलने का फ़ायदा यह है कि यहाँ का सस्ता श्रम है। अगर ये कंपनियाँ अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मज़दूरों के मुकाबले वहाँ के मज़दूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती हैं, बल्कि यहाँ के मज़दूर ज़्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। यहाँ मज़दूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्च की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इस तरह ये कंपनियाँ यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकती हैं। विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में कारखाने खोलने का एक उच्च फ़ायदा यह है कि उन्हें भूमि, मशीनों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं पर और सुरक्षा इंतज़ामों पर भी बहुत कम धन खर्च करना पड़ता है।

प्रश्न 3 क्या आपको लगता है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला है ? चर्चा करें।

उत्तर – विश्व की सबसे बड़ी गैस दुर्घटना 2 दिसंबर, 1984 को भोपाल में हुई। एक अमेरिकन कंपनी ' यूनियन कार्बाइड ' ने भोपाल में अपना एक कारखाना लगाया जिसमें पेस्टीसाइड का उत्पादन होता था। 2 दिसंबर 1984 को आधी रात को इस कारखाने से बहुत अधिक मात्रा में गैस रिसाव होना शुरू हो गया। इस दुर्घटना में लगभग 8000 लोग मारे गए तथा लगभग 50 हजार गरीब परिवार बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। ये लोग अभी भी काम करने योग्य नहीं हो पाए हैं। हजारों बच्चे अपाहिज हो गए। यह त्रासदी दुर्घटना नहीं थी, बल्कि सुरक्षा उपायों की कमी के कारण ऐसा हुआ। परंतु कंपनी ने इसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। इसके पश्चात् कानूनी लड़ाई

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

शुरू हुई और सरकार ने कंपनी के खिलाफ दीवानी मुकद्दमा दायर किया। 1985 में सरकार ने कंपनी से 3 अरब डॉलर का मुआवजा मांगा था, लेकिन 1989 में केवल 47 करोड़ डॉलर के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी। इस त्रासदी में जीवित बच गए लोग सर्वोच्च न्यायालय में गए, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस निर्णय को बनाए रखा। 7 जून, 2010 को भोपाल की एक अदालत ने गैस रिसाव के मामले में सात आरोपियों को अर्थदंड के साथ दो -दो वर्ष के कारावास की सजा दी। यह सजा पर्याप्त नहीं थी, इसीलिए इसकी व्यापक तौर पर आलोचना की गई।

प्रश्न 4 जब हम कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? कानूनों को लागू करने की ज़िम्मेदारी किसकी है ? कानूनों को लागू करना इतना महत्त्वपूर्ण क्यों है ?

उत्तर – सरकार के तीन अंग हैं – विधानपालिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। कानून निर्माण का मुख्य विधानपालिका है। परंतु केवल कानून निर्माण ही पर्याप्त नहीं है। कानून को लागू करना भी उतना ही आवश्यक है। कानून को प्रभावशाली ढंग से लागू न करने के कारण उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। कानूनों को कार्यपालिका लागू करती है। कार्यपालिका यह देखती है कि सभी लोग कानूनों का उचित ढंग से पालन करें तथा जो व्यक्ति कानूनों का उल्लंघन करता है, उसे सजा दी जाती है। उदाहरण के लिए न्यूनतम वेतन कानून का कोई लाभ नहीं है, जब तक सरकार यह नहीं देखती कि मज़दूरों को उस कानून के अनुसार वेतन मिल रहा है या नहीं और यदि कोई व्यक्ति इस कारण का उल्लंघन करता है, तो सरकार उसे सजा दें।

प्रश्न 5 कानून के ज़रिए बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए किस तरह प्रेरित किया जा सकता है ? अपने जवाब के साथ दो उदाहरण दें।

उत्तर – बाजार को नियंत्रित करने का कानून एक महत्वपूर्ण कारक है। बाजार से संबंधित सभी निर्णय बाजार वालों पर ही नहीं छोड़े जा सकते। उदाहरण के लिए यह आवश्यक है कि न्यूनतम वेतन कानून उचित ढंग से लागू हो कानून के अभाव में निजी कंपनियां तथा व्यवसायी अधिक मुनाफा कमाने के लिए बहुत कम वेतन देते हैं। न्यूनतम वेतन कानून के कारण यह आवश्यक है कि मालिक मज़दूरों को उचित न्यूनतम वेतन दें। उपभोक्ता तथा उत्पादक के हितों की रक्षा करने वाले कानून भी हैं। ये कानून मज़दूर, उपभोक्ता तथा उत्पादक के परस्पर संबंधों को निर्धारित करते हैं। इन कानूनों के कारण कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। इस प्रकार ये कानून ये व्यवस्था करते है कि बाज़ार निष्पक्ष ढंग से अपना कार्य करें।

SHIVOM CLASSES 8696085541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

प्रश्न 6 मान लीजिए कि आप एक रासायनिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। सरकार ने कंपनी को आदेश दिया है वह वर्तमान जगह से 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर अपना कारखाना चलाए। इससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा ? अपनी राय पूरी कक्षा के सामने पढ़कर सुनाएँ।

उत्तर – जिस रासायनिक फैक्ट्री में मैं काम करता हूं, वह वर्तमान जगह से 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर अपना कारखाना ले गई है। इससे मेरा जीवन बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसलिए मेरे सामने दो ही विकल्प बचते है। या तो में नौकरी छोड़ दूं, या उस फैक्ट्री के नजदीक रहने के लिए चला जाऊँ। परंतु फैक्ट्री के नजदीक रहने से प्रदूषण की समस्या के साथ – साथ मजदूरों की सुरक्षा आवश्यकताएं भी पहले की तरह बनी रहेगी।

प्रश्न 7 इस इकाई में आपने सरकार की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ा है। इनके बारे में एक अनुच्छेद लिखें।

उत्तर – सरकार लोगों से संबंधित जन सुविधाओं का प्रबंध करती है। साफ पानी उपलब्ध करवाती है। स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है। सफाई व्यवस्था का ध्यान रखती हैं। सरकार कानूनों का निर्माण करती है तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए उन्हें लागू करती है। सरकार मज़दूरों के लिए न्यूनतम वेतन बनाती है। सरकार कार्य की उचित परिस्थितियां तथा सुरक्षा के उपायों का प्रबंध करती है। पर्यावरण की रक्षा के लिए नहीं कारणों का निर्माण करती है। सरकार नदियों की सफाई का ध्यान रखती हैं तथा प्रदूषण फैलाने वालों को कड़ी सजा देती है।

प्रश्न 8 आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत कौन से हैं?

(क) हवा

(ख) पानी

(ग) मिट्टी में प्रदूषण के संबंध में चर्चा करें। प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ? क्या आप कोई और उपाय सुझा सकते हैं ?

उत्तर – पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले तत्त्व निम्नलिखित हैं:-

धुएँ से पर्यावरण प्रदूषित होता है।

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)

- बसों, कारों तथा अन्य वाहनों में ईंधन के प्रयोग से पर्यावरण खराब होता है।
- जल प्रदूषण पर्यावरण की एक अन्य समस्या है। फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा पानी में मिल जाता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है।
- धुएँ के कारण वायु प्रदूषण भी होता है।

प्रदूषण को कम करने के उपाय :–

- सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक वाहनों में सी ० एन ० जी ० का प्रयोग करने का आदेश दिया।
- फैक्ट्रियों में सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये गए हैं।
- प्रदूषण फैलाने वाले को दंडित करने का प्रावधान है।
- पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए नए कानून बनाये गए हैं।

प्रश्न 9 पहले पर्यावरण को किस तरह देखा जाता था ? क्या अब सोच में कोई बदलाव आया है ? चर्चा करें।

उत्तर – पर्यावरण के संबंध में पहले और वर्तमान के समय में बहुत बदलाव आया है। पहले लोग पर्यावरण के विषय में अधिक जागरूक नहीं थे। परन्तु वर्तमान समय में पर्यावरण के संबंध में लोगों में जागरूकता आई है तथा लोग पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उपाय करने लगे है।

प्रश्न 10 प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर. के. लक्ष्मण इस कार्टून के ज़रिए क्या कहना चाह रहे है ? इसका 2006 में बनाए गए उस कानून से क्या संबंध है जिसको पृष्ठ 123 पर आपने पढ़ा था।

उत्तर – प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर० के० लक्ष्मण इस कार्टून द्वारा बच्चों को मज़दूरी एवं शोषण से बचाने के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इस कार्टून में एक व्यंग्य द्वारा में यह बताया गया है कि अभी भी बच्चों के साथ किस प्रकार का शोषण किया जाता है। इस कार्टून के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है, कि हम अपने बच्चों को तो शोषण से बचाना चाहते हैं, परंतु स्वयं ही दूसरे बच्चों का शोषण करते हैं। अक्तूबर, 2006 में सरकार ने बाल मजदूरी निरोधक कानून में संशोधन करके 14 साल तक के किसी भी बच्चे को घरेलू नौकर बनाने, या किसी ढाबे, चाय की दुकान अथवा किसी रेस्टोरेंट में नौकर बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया।

SHIVOM CLASSES 8696608541

SHIVOM CLASSES - WhatsApp for Notes (8696608541)